[26/2/2026]

छत्तीस-२ सचिवालय

का विभाग

विषय : एफ 2-25/2022/1/55

प्रश्न सं. [क्र. 2840]

पूर्व पृष्ठ से:-

मंत्रि-परिषद् आदेश

आयटम क्रमांक 109 दिनांक 04 अक्टूबर, 2023

विषय:- चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक संवर्ग को सातवां वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.2016 से दिए जाने बाबत्

निर्णय लिया गया कि -

1. शासकीय स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के शैक्षणिक संवर्ग को सातवें पुनरीक्षित वेतनमान का वास्तविक लाभ दिनांक 01.04.2018 के स्थान पर दिनांक 01.01.2016 से दिया जावे। विभाग द्वारा लाभ की गणना तथा उसका भुगतान वित्त विभाग के परामर्श उपरांत किया जावे।

2. विभाग में चिकित्सकों के सातवें वेतनमान में मूल वेतनमान निर्धारण की गणना में अव्यवसायिक भत्ते के संबंध में विभागीय संक्षेपिका की कण्डिका 3 में उल्लेखित त्रुटि का निर्वारण वित्त विभाग के परामर्श से किया जावे।

(इकबाल सिंह बैंस)
मुख्य सचिव

अपर मुख्य सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग

अनुभाग अधिकारी (शाखा-1)
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

DS(ME)

मुख्य सचिव का निजी कक्ष
पं.क्र. 3278 / 2023
दिनांक 5/10/2023

305

Scanned with OKEN Scanner